To Pass the Electro Homeopathy Medical Method Bill

825 SH. Aftab Ahmed, MLA: Will the Ayush Minister be pleased to state:-

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to pass the Electro Homeopathy Medical Method Bill on the pattern of Rajasthan so that the whole protection and recognition may be provided to the persons who are giving treatment and practicing through said method; if so the time by which the said bill is likely to be presented; and

b) if not, the reasons thereof?

Reply:-

Anil Vij, Health and AYUSH Minister Haryana.

a) No, Sir.

b) Electrohomoeopathy is not a recognized system of medicine. The issue of recognition of Electrohomoeopathy as a system of medicine is currently under examination of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research).

इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक पारित करना

825 श्री आफताब अहमद, एम0एल0ए0: क्या आयुश मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या राजस्थान के पैटर्न पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक पारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि उन व्यक्तियों को जो उक्त पद्धति के माध्यम से उपचार और अभ्यास कर रहे हैं, को साम्पूर्ण सुरक्षा और मान्यता उपलब्ध करवाई जा सके; यदि हां, तो उक्त विधेयक के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तरः–

अनिल विज, स्वास्थ्य एवं आयुश मंत्री हरियाणा।

(क) नही, श्रीमान।

(ख) इलैक्ट्रोहोम्योपैथी एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नही है। इलैक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सा पद्धति के रुप में मान्यता का मामला वर्तमान में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) के विचाराधीन है।

नोट फोर पैड

आयुश विभाग हरियाणा 01 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, पंचकुला, 04 आयुर्वेदिक हस्पताल, 01 युनानी हस्पताल, 06 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 516 आयुर्वेदिक औशधालयों, 19 युनानी औशधालयों, 26 होम्योपैथिक औशधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा ि ाक्षा श्री कृश्णा आयुश वि वविद्याालय, कुरुक्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

उल्लेख है कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी समन्वय समिति, सोनीपत से इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसके प चात हरियाणा इलैक्ट्रोपैथी विकास संस्था (रजि0), हिसार का एक प्रस्ताव सरकार के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

इस संबंध में एक पत्र दिनांक 11.05.2016 को सरकार को भेजा गया और यह अवगत करवाया गया कि इलैक्ट्रोपैथी के चिकित्सकों को पंजीकृत करने का कोई प्रावधान नही है और ऐसा कोई अधिनियम उपलब्ध नही है। हरियाणा राज्य में इस उद्धे य के लिए कोई बोर्ड/परिशद् गठित नही की गई है। यदि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेना चाहती है, तो बोर्ड/परिशद् के गठन और अधिनियम बनने के बाद उन्हे पंजीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों से समय–समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए।

भारत सरकार को नई चिकित्सा प्रणाली यानी इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति (ई0एच0एम0एस0) के संबंध में दि ाा–निर्दे ा प्रदान करने और इलैक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट बारे सूचित करने हेतू पत्र दिनांक 22.09.2021 के द्वारा अनुरोध किया गया।

भारत सरकार, आयुश मंत्राालय ने अपने पत्र दिनांक 25.11.2021 द्वारा सूचित किया है कि ''इलैक्ट्रोहोम्योपैथी'' एक मान्यता प्राप्त पद्धति नही है और इसे आयुश मंत्रालय द्वारा विनियमित नही किया गया है। उन्होने आगे बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा नई चिकित्सा पद्धतियां ड़ील की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा सूचित किया है कि;

''यह वर्णन किया जाता है कि जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, इलैक्ट्रोहोम्योपैथी एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नही है। चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों (इलैक्ट्रोहोम्योपैथी सहित), जो मान्यता प्राप्त नही है, में ि ाक्षा और अभ्यास के संबंध में मंत्रालय के निर्दे ा इसके दो स्व–व्याख्यात्मक आदे ाों दिनांक 25.11.2003 और 05.05.2010 में निहित हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रुप में मान्यता देने का मामला इस मंत्राालय द्वारा गठित एक अंतर–विभागीय समिति के विचाराधीन है।''

रास्ते पक्के करने पर खर्च की गई कुल रा ि ा

684. डॉ० कृश्ण लाल मिढा, एम०एल०ए०: क्या कृशि एंव किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) वर्श 2020–2021 तथा 2021–2022 के दौरान जींद जिले में एच.एस.ए. एम.बी. द्वारा पक्की की गई सड़कों की विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र वार लम्बाई कितनी है;

(ख) उपरोक्त सड़कों पर सरकार द्वारा कुल कितनी रा ि ा खर्च की गई; तथा

(ग) वर्श 2020–2021 तथा 2021–2022 में वन सफाई पर जींद विभाग में एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा कुल कितनी रा ि ा खर्च की गई ?

जय प्रका ा दलाल, कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अतारांकित प्र न संख्या 684 से सबंधित ब्यौरा

(क) हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा जींद जिले में वर्श 2020–2021 व 2021–2022 के दौरान बनाई गई सड़कों का विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र वार विवरण निम्न प्रकार से है–

क्रमांक	विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र का नाम	वर्श 2020–2021 के दौरान बनाई गई सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)	वर्श 2021–2022 के दौरान बनाई गई सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)
1	नरवाना (एस.सी.)	–	8.53
2	सफीदों	12.28	4.47
3	जुलाना	58.94	–
4	उचाना	2.70	5.35
5	जींद	30.56	6.10

(ख) इन सड़कों को पक्का करने में 41.99 करोड़ रुपयें की रा ि ा खर्च की गई ; तथा

(ग) हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा जींद डिविजन में वर्श 2020–2021 व 2021–2022 के दौरान वन सफाई पर क्रम ाः 47.30 लाख रुपयें व 18.09 लाख रुपये खर्च किए गए।